

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पजिटिलानी सैन्ज मोटर मार्ग निर्माण हेतु शासनादेश सं०-541/III (2)/2005 (प्रा० आ०)/05 दिनांक 30-06-2005 के द्वारा 8.00 किमी० लम्बाई हेतु स्वीकृत है। स्थानिय ग्रामीणों की वर्तमान सहमति के आधार पर मार्ग निर्माण हेतु जो संरेखण प्राप्त हुआ है तकनीकी रूप से उस संरेखण की वास्तविक लम्बाई 4.00 किमी० ही आती है, जो कि पजिटिलानी चदैउ सुपउ मार्ग पर समाप्त होती है। इससे आगे मार्ग का निर्माण नहीं किया जाना है जिस कारण यह वन भूमि प्रस्ताव 4.00 किमी० लम्बाई हेतु ही गठित किया गया है।


(मुकेश परमार)
अधिसासी अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि०
सहिया।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अ०ख०, लोक निर्माण विभाग, सहिया,

दिनांक / 02 / 2016

पत्रांक /

सेवा में

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन
संरक्षक उत्तराखण्ड

विषय:- पजिटीलानी सैन्ज मार्ग के वन भूमि लो०नि०वि० को हस्तान्तरण का प्रस्ताव उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि उक्त मार्ग के प्रस्ताव की तीन प्रतियाँ आपको को अग्रिम कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी जा रही है।

O/c

अधिशासी अभियन्ता
अ०ख०लो०नि०वि०
सहिया,

पत्रांक 282 / 6C

दिनांक 16 / 02 / 2016

प्रतिलिपि:- 1-प्रभागीय वना अधिकारी चकराता वन प्रभाग चकराता को सूचनार्थ प्रेषित।
2-सहायक अभियन्ता प्रथम लो०नि०वि०, सहिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

10/2/16
संरक्षक
वन संरक्षण निदेशालय
इन्फान्ट्री क्वार्टर, फौरेस्ट कालोनी
वन विभाग, (उत्तराखण्ड)
देहरादून

O/c

अधिशासी अभियन्ता
अ०ख०लो०नि०वि०
सहिया,